(GI-1, GI-2, GI-3, GI-4, VI-1 & SI-1)

DATE: 07.10.2019 MAXIMUM MARKS: 100 TIMING: 3¼ Hours

PAPER : AUDITING

DIVISION – A (MULTIPLE CHOICE QUESTIONS)

Answer (1-20) carry 1 Mark each
Answer (21-25) carry 2 Marks each

(1) Ans. d
(2) Ans. d
(3) Ans. c
(4) Ans. c
(5) Ans. b
(6) Ans. d
(7) Ans. d
(8) Ans. c
(9) Ans. c
(10) Ans. a
(11) Ans. a
(12) Ans. b
(13) Ans. c
(14) Ans. b
(15) Ans. c
(16) Ans. d
(17) Ans. d
(18) Ans. a
(19) Ans. d
(20) Ans. b
(21) Ans. c
(22) Ans. d
(23) Ans. a
(24) Ans. c
(25) Ans. b

Division B-Descriptive Questions
Question No. 1 is compulsory
Attempt any four questions from the Rest.

Answer 1:

Examine with reasons (in short) whether the following statements are correct or incorrect : (Attempt any 7 out of 8)

(i) **गलतः–** ''स्वेट इक्विटी शेयर'' का अर्थ है कंपनी द्वारा कर्मचारियों या निदेशकों को छूट पर या विचार के लिए नकद के अलावा अन्य जानकारी के लिए जारी किए गए इक्विटी शेयर या बौद्धिक संपदा अधिकार या मूल्य परिवर्धन की प्रकृति में उपलब्ध अधिकार प्रदान करना, जो भी नाम से हो बुलाया।

(ii) **गलतः**– यदि कंपनी X की बैलेंस शीट '100 लाख की राशि के साथ भवन दिखाती है, तो ऑडिटर यह मान लेगा कि प्रबंधन ने दावा किया है कि उसका दावा किया गया हैः

- Exists बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त इमारत अवधि–अंत (अस्तित्व का दावा) के अनुसार मौजूद है
- कंपनी X ऐसी इमारत (अधिकार और दायित्व दावे) का मालिक है और उसे नियंत्रित करता है
- भवन को माप सिद्धांतों (वैल्यूएशन दावे) के अनुसार सटीक रूप से महत्व दिया गया है

(iii) **गलतः–** कंपनी द्वारा प्रतिभूति प्रीमियम खाता लागू किया जा सकता है:
- (a) पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में कंपनी के सदस्यों को कंपनी के अप्रकाशित शेयरों के मुद्दे की और:
- (b) कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को लिखित रूप में
- (c) कंपनी के शेयरों या डिबेंचर के किसी भी मुद्दे पर ओफ के खर्च, या कमीशन का भुगतान या छूट की अनुमति दी गई है
- (d) कंपनी के किसी भी रिडीजेबल वरीयता शेयरों या किसी भी डिबेंचर के मोचन पर देय प्रीमियम के लिए प्रदान करने में या
- (e) धारा 68 के तहत अपने स्वयं के शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की खरीद के लिए।

(iv) **गलतः–** अंकेक्षक, अंकेक्षण रिपोर्ट में अपनी राय अधिकृत करेगा जब:
- (a) लेखा परीक्षक यह निष्कर्ष निकालता हैं, कि लेखा परीक्षण के सबूतों की प्राप्ति के आधार पर वित्तीय विवरण पूरी तरह से भौतिक गलतियों से मुक्त नहीं है।

(v) **सहीः–** लेखा परीक्षक अपनी बहुत बुरी राय व्यक्त करेगा, जब लेखाा परीक्षक पर्याप्त तथा उपयुक्त लेखा सबूतों को प्राप्त कर लेगा, गलतियों से निष्कर्ष निकाल लेगा, व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से दोनों ही सामग्री वित्तीय विवरणों के लिए उपयुक्त है।

(vi) **गलतः–** अंकेक्षक को इस धारणा से नहीं जाना चाहिए, कि सिस्टम द्वारा बनाई गई जानकारी सही है और बिना सबूत के आधार पर भरोसा किया जा सकता है, जो दर्शाता है कि प्रणाली द्वारा संचालित जानकारी लागू और लागू होने के समय के लिए आवश्यक मानदण्डों की वैधता पर आधारित है।

(vii) **गलतः–** दूसरी और न्यायसंगत बंधक, केवल कर्मो या सुरक्षा के निर्माण के इरादे से शीर्षक के अन्य दस्तावेजों के वितरण से प्रभावित होता है।

(viii) **सत्यः–** उपयुक्तता अंकेक्षण के अनुसार अंकेक्षक अनुचित दशाओं, अपरिहार्यताओं, निष्फल व्ययों चाहे वे व्यय समबन्धित नियमों तथा अनियमों की सीमाओं के अन्तर्गत ही उपगत व्यय क्यों न हों, को खोजने का प्रयत्न करता है।

{One Mark for Correct or Incorrect and 1 Mark for Explanation}

Answer 2:

(a) **मामले से सम्बन्धित तथ्यः** मौजूदा मामले में, Mr. A, 4 कम्पनियों में नियुक्त हैं, जबकि Mr. B, 6 कम्पनियों में नियुक्त हैं तथा Mr. C, 10 कम्पनियों में नियुक्त हैं। कुल मिलाकर सभी तीनों साझेदारों के पास मिलाकर 20 लेखा परीक्षाएँ हैं।

प्रावधान और स्पष्टीकरणः कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 141(3)(g) के अनुसार, कोई व्यक्ति एक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह अन्यत्र कहीं पूर्णकालिक नियोजन में है या उसके लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त एक फर्म का साझेदार हैं, यदि ऐसा कोई व्यक्ति या साझेदार ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की तिथि को रु 100 करोंड़ से कम चुकता शेयर पूँजी वाली एकल व्यक्ति कम्पनियों, निष्क्रिय कम्पनियों एवं निजी कम्पनियों के अलावा बीस से अधिक कम्पनियों के लेखा परीक्षा के रूप में नियुक्त है। **{3 M}**

धारा 141(3)(g) के अनुसार, 20 कम्पनियों की लेखा परीक्षा की यह सीमा प्रति व्यक्ति है। 3 भागीदारों वाली ऑडिट फर्म के मामलें में, कुल सीमा 3 x 20 = 60 कम्पनी ऑडिट होगी।

कभी–कभी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कई ऑडिट फर्मो में साझेदार होता है। ऐसे मामलें में, सभी कम्पनियाँ, जिसमें भी वह साझेदार या मालिक हैं, सब मिलाकर उसके खाते में 20 कम्पनियों की लेखा परीक्षा करने के लिए हकदार होगी।

निष्कर्ष:

(i) इसलिए, ABC & Co. 40 और कम्पनियों के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति ग्रंहण कर सकती है:

फर्म के लिए उपलब्ध लेखा परीक्षाओं की कुल संख्या = 20 x 3 = 60
सभी साझेदारों द्वारा पहले ही व्यक्तिगत रूप में की जा रही
लेखा परीक्षाओं की संख्या = 4 + 6 + 10 = 20
फर्म के लिए उपलब्ध शेष लेखापरीक्षाओं की संख्या = 40 **{1 M}**

(ii) उपरोक्त प्रावधानों के सन्दर्भ में, एक लेखा परीक्षक एक लेखा परीक्षक के रूप में और नियुक्तियाँ ग्रहण कर सकता है = धारा 141(3)(g) के अनुसार अधिकतम सीमा – एक लेखा परीक्षक के रूप में पहले से ग्रहण की गई नियुक्तियों की संख्या। इसलिए (1) Mr. A धारण कर सकते हैं, 20 - 4 = 16 और ऑडिट (2) Mr. B, 20 - 6 = 14 और लेखा परीक्षाएँ कर सकते हैं तथा (3) Mr. C 20 - 10 = 10 और लेखा परीक्षाएँ कर सकते है। **{1 M}**

(iii) उपर्युक्त चर्चित प्रावधानों के मद्देनजर, 100 करोड़ रुपयें से कम चुकता शेयर पूँजी वाली सभी 60 निजी कम्पनियों एवं 1 निष्क्रिय कम्पनियों में लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति ग्रहण कर सकती हैं, क्योंकि इन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 141(3)(g) के तहत निर्धारित कम्पनी लेखा परीक्षाओं सीमा से बाहर रखा गया हैं। **{1 M}**

(iv) मामले के तथ्यों के अनुसार, ABC & Co. पहले ही 20 कम्पनियों की लेखा परीक्षा कर रही है और वे 40 कम्पनियों की लेखा परीक्षा भी स्वीकार कर सकती है। इसके अलावा वे एकल व्यक्ति कम्पनियों, छोटी कम्पनियों, निष्क्रिय कम्पनियों एवं 100 करोड़ रुपए से कम चुकता शेयर पूँजी वाली निजी कम्पनियों की लेखा परीक्षा भी कर सकती है। दिए गए मामलें में, ABC & Co. को पेशकश की गई 60 निजी कम्पनियों में से 45 कम्पनियों की प्रत्येक चुकता शेयर पूँजी रु 110 करोड़ है। **{1 M}**

अतः ABC & Co. पहले से धारण किए गए उपरोक्त 20 कम्पनियों की लेखा परीक्षा के अलावा, 2 छोटी कम्पनियों, एक निष्क्रिय कम्पनी, रु 100 करोड़ से कम चुकता शेयर पूँजी वाली 15 निजी कम्पनियों एवं रु 110 की चुकता शेयर पूँजी वाली 40 निजी कम्पनियों के लिए लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति को भी स्वीकार कर सकती है।

Answer:

(b) लेखा परीक्षकों के चयन एवं नियुक्ति की विधि एवं प्रक्रिया (Manner and procedure of selection and appointment auditors)

CAAR] 2014 के नियम 3 में लेखा, परीक्षक के चयन एव नियुक्ति की निम्नलिखित विधि एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

(1) किसी ऐसी कम्पनी के मामलें में, जिसे धारा 177 के तहत एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता होती हैं, समिति, एवं ऐसे मामलों में, जहां उक्त समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं होती हैं, मण्डल, लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने हेतु प्रस्तावित व्यक्ति या फर्म की योग्यता एवं अनुभव पर विचार करेगा तथा यह भी ध्यान रखेगा कि उक्त योग्यता एवं अनुभव कम्पनी के आकार एवं आवश्यकताओं के अनुरूप हैं या नहीं।

यह ध्यान दिया जा सकता हैं, कि नियुक्ति पर विचार करते समय, लेखा परीक्षा समिति या मण्डल, जैसा भी मामला हो, प्रस्तावित लेखा परीक्षक के खिलाफ इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकांउंटेंट्स ऑफ इण्डिया या किसी सक्षम प्राधिकरण या किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित पेशेवर कदाचार से संबंधित किसी भी कार्यवाही या आदेश को भी ध्यान में रखेगें। **{Any 6 Points Each 1/2 Mark}**

(2) लेखा परीक्षा समिति या मण्डल, जैसा मामला हो, प्रस्तावित लेखा परीक्षक से ऐसी अन्य सूचनाओं की माँग कर सकता हैं, जो यह उपयुक्त समझें।

(3) उप–नियम (1) के प्रावधानों के अधीन, जहाँ किसी कम्पनी को लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता होती हैं, वहाँ समिति लेखा परीक्षा के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु मण्डल के समक्ष किसी व्यक्ति या फर्म के नाम की सिफारिश करेगी तथा अन्य मामलों में, मण्डल विचार करेगा तथा नियुक्ति के लिए वार्षिक आग बैठक में सदस्यों के समक्ष लेखा परीक्षक के रूप में एक व्यक्ति या एक फर्म की सिफारिश करेगा।

(4) यदि मण्डल लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश से सहमत हो जाता हैं, तो यह वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के समक्ष लेखा परीक्षा के रूप में एक व्यक्ति या फर्म की नियुक्ति की सिफारिश करेगा।

(5) यदि मण्डल लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश से असहमत होता हैं, तो वह उक्त असहमति के कारणों का हवाला देते हुए सिफारिश को पुनर्विचार के लिए समिति को वापस भेज देगा।

(6) यदि लेखा परीक्षा समिति, मण्डल द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, अपनी मूल सिफारिशों पर पुनर्विचार ना करने का निर्णय लेती है, तो मण्डली समिति के साथ अपनी असहमति के कारणों को रिकार्ड करेगा तथा अपनी सिफारिश को वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के विचारण हेतु भेजेगा, और यदि मण्डल लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों के साथ सहमत होता है, तो यह मामले को वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा विचार किए जाने हेतु उनके समक्ष रखेगा।

(7) वार्षिक आम बैठक में नियुक्त लेखापरीक्षक, उस बैठक के समापन से छठवीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक उस कार्यालय पर पदासीन रहेगा, जहाँ उक्त नियुक्ति को पहली बैठक के रूप मान कर किया गया हो।

Answer:

(c) **प्रावधान और स्पष्टीकरण:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 140 की उप–धारा (2) का पालन न करने के लिए, लेखा परीक्षक को जुर्माना के साथ दंडनीय होगा, जो 50,000 हजार रुपये से कम नहीं होगा या लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक, जो भी हो कम है, लेकिन जो उक्त अधिनियम की धारा 140(3) के तहत 5,00,000 रुपये तक हो सकता है। **{2 M}**

निष्कर्ष: इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 140 (3) के तहत जुर्माना रुपये से कम नहीं होगा। 30,000 लेकिन जो रु। 5,00,000। **{2 M}**

Answer 3:

(a) (1) **विज्ञापन व्यय:**

(i) विज्ञापन एजेंसी से बिलों/चालानों की पुष्टि करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विभिन्न प्रकार के विज्ञापन के लिए शुल्क दरें अनुबंध के अनुसार हैं। **{1 M}**

(ii) देखें कि विज्ञापन ग्राहक के व्यवसाय से संबंधित है।

(iii) एजेंसी द्वारा जारी रसीद का निरीक्षण करें।

(iv) व्यय की प्रकृति का पता लगाएं – राजस्व या पूंजीगत व्यय और देखें कि यह ठीक से दर्ज किया गया है। **{1 M}**

(v) उस अवधि का पता लगाएं, जिसके लिए भुगतान किया गया है और देखें कि प्रीपेड राशि, यदि कोई हो, बैलेंस शीट पर ले जाए। **{1 M}**

(vi) देखें कि सभी बकाया विज्ञापन बिल प्रदान किए गए हैं।

(2) **स्क्रैप की बिक्री:**

(i) आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा करें जैसा कि सृजन, भंडारण और स्क्रैप के निपटान के संबंध में है।

(ii) जाँच करें कि संगठन स्क्रैप की पीढ़ी के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए हुए है या नहीं।

(iii) स्क्रैप के कच्चे माल, उत्पादन और उत्पादन पैटर्न का विश्लेषण करें और इसकी तुलना पहले वर्ष के figures से करें।

(iv) उन दरों की जाँच करें जिस पर स्क्रैप बेचा गया है और पिछले वर्ष की तुलना में दर की तुलना करें।

(v) वाउच की बिक्री, चालान के साथ, निविदा के लिए विज्ञापन, स्क्रैप डीलरों के साथ दर अनुबंध। **{Any 6 Points Each 1/2 Mark}**

(vi) सुनिश्चित करें कि स्क्रैप और अच्छी इकाइयों की पहचान करने के लिए एक उचित नियंत्रण प्रक्रिया मौजूद है और उन्हें मिश्रित नहीं किया जाता है और स्क्रैप के रूप में बेचा जाता है।

(vii) स्क्रैप से प्राप्ति के मूल्य का समग्र मूल्यांकन करें।

Answer:

(b) लेखा परीक्षक के उद्देश्य–स्पष्ट और उचित संशोधित राय व्यक्त करने के लिए

लेखांकन मानक 705 के अनुसार ''स्वतन्त्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में राय में संशोधन'' लेखा परीक्षक का उद्देश्य वित्तीय विवरणों पर, जो आवश्यक हैं, स्पष्ट और उचित संशोधित राय व्यक्त करना होता हैं, जब– **{2 M}**

(a) ऑडिटर यह निष्कर्ष निकालता हैं, कि प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर वित्तीय विवरण पूरी तरह से भौतिक गलतियों से मुक्त है।

(b) लेखा परीक्षक यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त तथा उचित लेखा परीक्षण सबूत जुटाने में असमर्थ है, कि वित्तीय विवरण पूरी तरह भौतिक गलतियों से मुक्त है। **{2 M}**

Answer:

(c) जब सम्बन्धित आंकड़े प्रस्तुत होते हैं, तब केवल निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर लेखा परीक्षक की राय सम्बधित आँकड़ों के सन्दर्भ में नहीं होगी–

(1) यदि पूर्व की अवधि पर लेखा परीक्षा की रिपार्ट जैसी कि पहले निर्गमित की जा चुकी हैं, योग्य राय, विपरीत राय और राय के अस्वीकरण को सम्मिलित करती है और वह मामले जो अनसुलझे बदलावों को जन्म देते हैं, उन्हें भी सम्मिलित करती है। लेखा परीक्षक वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की राय को संशोधित करेगा, ऑडिटर की रिपोर्ट में संशोधित पैराग्राफ के आधार पर ऑडिटर होगा या तोः **{2 M}**

(a) वर्तमान अवधि के भौतिक आँकड़ो पर प्रभाव या संभावित प्रभाव के मामले में संशोधन को जन्म देने के मामले में वर्तमान अवधि के आँकड़े और सम्बन्धित आँकड़े दोनों सन्दर्भ में है।

(b) अन्य स्थितियों में, समझायें कि वर्तमान अवधि मे आँकड़ों और सम्बन्धित आँकड़ों की तुलनात्मक पर अनसुलझे मामलों के प्रभाव या संभावित प्रभाव के कारण लेखा परीक्षक की राय कों संशोधित किया गया है।

(2) यदि लेखा परीक्षक लेखा परीक्षक साक्ष्य प्राप्त करता हैं, कि पहले के वित्तीय विवरणों में एक भौतिक गलती मौजूद हैं, जिस पर एक अनाधिकृत राय पहले जारी की गई हैं, लेखा परीक्षक यह सत्यापित करेंगे, कि क्या गलत विवरण लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार पेश किये गये हैं और यदि ऐसा नहीं हैं, तो लेखा परीक्षक वर्तमान अवधि के वित्तीय ववरणों (संशोधित) पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में योग्य या विपरीत राय व्यक्त करेगा। **{1 M}**

(3) पूर्व अवधि के वित्तीय विवरण जिनका अंकेक्षण नही हुआ– यदि पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण नहीं हुआ तो लेखा परीक्षक ऑडिटर की रिपोर्ट के पैराग्राफ के अन्य मामलों में बताऐंगे कि सम्बन्धित अवधि के आँकड़ों का लेखा परीक्षण नहीं हुआ है, इस तरह के विवरण हालांकि लेखा परीक्षक को पर्याप्त तथा उचित लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकताओं के लिए राहत प्रदान नहीं करते। प्रारम्भिक शेष में वह गलत विवरण सम्मिलित नहीं होते, जो भौतिक रूप से वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों को प्रभावित करते है। **{1 M}**

Answer 4:

(a) कृषि अग्रिम

दिशा–निर्देशों के अनुसार, कृषि अग्रिम दो प्रकार के हैं,

(1) ''लम्बी अवधि'' फसलों के लिए कृषि अग्रिम और

(2) ''छोटी अवधि'' फसलों के लिए कृषि अग्रिम **{2 M}**

''लम्बी अवधि'' की फसलों के एक वर्ष से अधिक फसलों की फसल होगी और फसलों, जो ''लम्बी अवधि'' नहीं है, को ''लघु अवधि'' फसलों के रूप में माना जाएगा।

प्रत्येक फसल के लिए फसल को मौसम, जिसका मतलब हैं, कि उठाए गए फसलों की कटाई की अवधि प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

निम्नलिखित एनपीए मानदण्ड कृषि अग्रिमों (क्रॉप अवधि ऋण सहित) पर लागू होगेः **{2 M}**

- अल्प अवधि की फसलों के लिए दी गई ऋण को एनपीए जाएगा, यदि मूलधन या ब्याज की किश्त दो फसलों के मौसमों के लिए अतिदेय रहती हैं औरं,

- लंबी अवधि की फसलों के लिए दी गई ऋण को एनपीए माना जाएगा, यदि एक फसल सीजन के लिए मूलधन या ब्याज की किश्त एक अतिदेय नहीं है।

Answer:

(b) ऐसे खाते जहाँ उधारकर्ताओं द्वारा किए गए सुरक्षा/धोखाधड़ी के मूल्य में कटाव होता हैं, सम्पति वर्गीकरण के चरणों का पालन करने के लिए विवेकपूर्ण नहीं। इसे सीधे–सीधे वर्गीकृत होना चाहिए, संदिग्ध या हानि सम्पति जैसा कि उपयुक्त हैं,

(i) सुरक्षा के मूल्य में क्षरण को सिक्योरिटी के रूप में माना जा सकता है, जब सुरक्षा के वसूली योग्य मूल्य बैंक द्वारा निर्धारित के 50 प्रतिशत से कम या आरबीआई द्वारा पिछले निरीक्षण के समय में स्वीकार किए जाते हैं, जैसा कि मामला हो। ऐसे एनपीए संदिग्ध श्रेणी के तहत सीधे–सीधे क्लास हो सकते है और संविधान सम्पति पर लागू प्रावधान के रूप में प्रावधान किया जाना चाहिए। **{$1^{1/2}$ M}**

(ii) यदि बैंक/अनुमोदित वैल्यूर्स/आरबीआई द्वारा मूल्यांकन के रूप में सुरक्षा के वसूली योग्य मूल्य उधारकर्ता खातों मे बकाया का 10 प्रतिशत से कम हैं, तो सुरक्षा की मौजदूगी को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और परिसम्पति सीधे दूर होनी चाहिए, हानि परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत। यह या तो लिखित ओएफएफ या बैंक द्वारा पूरी तरह से प्रदान किया जा सकता है। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer:

(c) उपयुक्ता अंकेक्षण 'उपयुक्तता अंकेक्षण' के अनुसार अंकेक्षक उन अनुचित दशाओं, अपरिहार्यताओं, निष्फल व्ययों चाहे वे व्यय सम्बन्धित नियमों तथा नियमनों की सीमओं के अन्तर्गत ही उपगत व्यय क्यों न हों, को खोजने का प्रयत्न करता हैं। समय बीतने के साथ–साथ यह अनुभव किया गया कि केवल नियमित अंकेक्षण ही सार्वजनिक हितों की उचित सुरक्षा करने में पर्याप्त नहीं है। एक लेन–देन को इन सभी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करना होता हैं, जिनकी आवश्यकता नियमित लेन–देनों के सम्बन्ध में होती है अर्थात वे विभिन्न औपचारिकताएँ तथा नियम जिनकी आवश्यकता लेन–देनों के सम्बन्ध में होती है अर्थात वे विभिन्न औपचारिकताएँ तथा नियम जिनकी आवश्यकता लेन–देनों की पूर्णता को सुनिश्चित करने से सम्बन्धित होती हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए, परन्तु ये अब भी अत्यन्त दोषपूर्ण हो सकती हैं। टेलीफोन एक्सचेंज (Telephond Exchange) को लगाने में इमारत का निर्माण किया जा सकता है, परन्तु इस भवन का उपयोग हो सकता हैं, उस रूप में न किया जाये, परिणापस्वरूप ऐस व्यय निष्फल हो सकते हैं, अथवा विद्यालय चलाने के उद्देश्य से एक भवन का निर्माण कराया जाये, परिणामस्वरूप ऐसे व्यय निष्फल हो सकते हैं, अथवा विद्यालय चलाने के उद्देश्य से एक भवन का निर्माण कराया जाये, परन्तु उसका प्रयोग पाँच वर्षो के पश्चात जब भवन बनकर तैयार हो जाए तब किया जाये यह अपरिहार्य व्ययों से सम्बन्धित एवं दशा है। **{1 M}**

अतएव अंकेक्षण सार्वजनिक वित्तीय नैतिकता को बुद्धि, वफादारी तथा लेन–देनों की किफायत के सन्दर्भ में देखने का प्रयास करता हैं, जिससे उच्चस्तरीय मानकों को प्राप्त किया जा सके। इन विचारों से उपयुक्तता अंकेक्षण का उदय हुआ, जिन्हें अब अंकेक्षण अधिकरणों के साथ नैतिक कार्यो की तरह प्रयोग में लाया जाता है। उपयुक्तता के प्रति अंकेक्षण के मार्ग को नियंत्रित करने हेतु किसी सूक्ष्म नियमावली का सृजन काफी कठिन होता है। अंकेक्षक का एक उद्देश्य अपनी स्वीकृति के लिए सामान्य विवके तथा अंकेक्षकों की तर्कशक्ति की अपील करता है तथा उन व्यक्तियों के विवके की मांग करता है, जिनके वित्तीय लेन–देन उपयुक्तता अंकेक्षण के क्षेत्र में आते है। वैसे कुछ सामान्य सिद्धान्त अंकेक्षण मानदण्ड संहिता में बनाये गये हैं, जिनको काफी लम्बे समय से वित्तीय औचित्य का मानदण्ड माना जा रहा है। औचित्य के प्रति अंकेक्षण यह आश्वासन पाने का प्रयास करता है कि व्यय इन सिद्धान्तों से मेल खाते हैं, जिनको नीचे समझाया जा रहा हैः **{1 M}**

(a) व्यय सरसरी तौर से मौके की मांग से अधिक नहीं होनी चाहिये। प्रत्येक सरकारी अधिकारी से आशा की जाती है कि सार्वजनिक धन से किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में वही सावधानी बरते जो एक सामान्य विवेकशील प्राणी अपने निजी धन के खर्चे के सम्बन्ध में बरतता है।

(b) कोई भी सत्ता ऐसे व्ययों की स्वीकृति की शक्ति का उपयोग न करे ऐसा आदेश पास करने के लिए जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसके अपने निजी लाभों के लिए हो। **{1 M}**

(c) सार्वजनिक धन को समाज के किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष के हितार्थ उपयोग न किया जाये जब तक किः

(i) सन्निहित व्यय की राशि महत्वहीन सी न हो; या
(ii) राशि के लिए कोई दावा न्यायालय में प्रवर्तनीय न कराया जा सके; या
(iii) व्यय मान्य नीतियाँ तौर–तरीके के अनुरूप न रहे; तथा
(iv) भत्तों की राशि जैसे यात्रा भत्ता एक विशेष प्रकार के व्ययों को पूरा करने के लिए स्वीकार किया जाता है, इसको इस प्रकार किया जाये कि भत्ते, कुल–मिलाकर प्राप्तकर्ता के लिए लाभ के स्रोत न बन जायें।

Answer:

(d) CAG की भूमिका कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धाराओं (5), (6) व (7) में निर्धारित है। एक सरकारी कम्पनी की दशा में CAG धारा 139 की उपधारा (5) या (7) के अंतर्गत अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा अर्थात् प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति या बाद वाले अंकेक्षक की नियुक्ति और ऐसे अंकेक्षक को सरकारी कम्पनी के लेखों के अंकेक्षण के बारे में निर्देश देगा कि उनका अंकेक्षण किस ढंग से किया जाए। **{1 M}** इस प्रकार से नियुक्त अंकेक्षक CAG को अंकेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति देगा, अन्य बातों के अतिरिक्त उससे निर्देश होंगे, यदि कोई हैं, उस पर की गई कार्यवाही और इसका कम्पनी लेखों और वित्तीय विवरण पर पड़ने वाला प्रभाव।

CAG को अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर अधिकार होगा।

(a) ऐसी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों का पूरक अंकेक्षण (Supplementary Audit) ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कराने का जिन्हें वह इस संबंध में अधिकृत करें। ऐसे अंकेक्षण के उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सूचना या अतिरिक्त सूचना दे, ऐसे विषयों के संबंध में, ऐसे व्यक्तिय या व्यक्तियों द्वारा और ऐसे ढंग से जैसा वह CAG निर्देश दे। **{$1^{1/2}$ M}**

(b) ऐसी अंकेक्षण रिपोर्ट पर टिप्पणी और उसे पूरक करें :
बशर्ते कि CAG द्वारा की गई टिप्पणी या पूरक अंकेक्षण रिपोर्ट कम्पनी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भेजी जाएगी, जो धारा 136 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसे प्राप्त करने का अधिकारी है, अर्थात् कम्पनी के प्रत्येक सदस्य, कम्पनी द्वारा जारी ऋणपत्रों के न्यासी को और सभी व्यक्तियों को ऐसे सदस्यों या न्यासी को छोड़कर, जो इसे प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ–साथ कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत की जाएगी, अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय और उसी ढंग से।

नमूने का अंकेक्षण (Test Audit) : पुनः अंकेक्षण और अंकेक्षक के संबंध में प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बगैर CAG उन कम्पनियों के संबंध में, जो धारा 139 की उपधारा (5) और (7) में समामेलित है, यदि वह आवश्यक समझें एक आदेश के द्वारा ऐसी कम्पनी के लेखों के नमूने की अंकेक्षण जॉच (Test Audit) कर सकता है। ऐसे नमूने को अंकेक्षण जॉच की रिपोर्ट के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियॉ और सेवा की शर्ते अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होंगे। जैसा कि उपरोक्त में वर्णन किया गया है, एक सरकारी कम्पनी की दिशा में अंकेक्षण पेशेवर अंकेक्षकों द्वारा किया जाता है। जिनकी नियुक्ति CAG की सलाह पर की जाती है। CAG कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत पूरक या नमूने की जॉच अंकेक्षण करवाने के लिए अधिकृत है। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer 5:

(a) 1. **स्व–ब्याज की धमकियाँ,** जो एक अंकेक्षण फर्म, उसके साझेदार या सहयोगी अंकेक्षण क्लाइंट में वित्तीय हित से लाभान्वित हो सकती हैं। उदाहरणों में शामिल है (i) प्रत्यक्ष वित्तीय हित या एक ग्राहक में अप्रत्यक्ष वित्तीय रुचि, (ii) संबंधित क्लाइट से या उसके लिए ऋण की गारंटी, (iii) ग्राहक की फीस पर अनुचित निर्भरता और इसलिए कार्य को खोने के बारे में चिताओं, (iv) अंकेक्षण क्लाइट कके साथ घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध, (v) ग्राहक के साथ संभावित रोजगार और (vi) अंकेक्षण कार्य के लिए आकस्मिक शुल्क। **{1 M}**

2. **स्व–समीक्षा की धमकी,** जो किसी भी फैसले या निष्कर्ष की समीक्षा के दौरान पिछले अंकेक्षण या गैर–अंकेक्षण–परीक्षा कार्य (गैर–अंकेक्षण सेवाओं) में शामिल हैं, किसी अंकेक्षक द्वारा किसी संस्था को प्रदान की जाने वाली किसी भी व्यावसायिक सेवाएँ, आंतरिक अंकेक्षण परीक्षा, निवेश सलाहकार सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली आदि का डिजाइन और कार्यान्वयन शामिल हैं, या जब अंकेक्षण टीम का कोई सदस्य पहले से ग्राहक का एक डायरेक्टर या वरिष्ठ कर्मचारी था **{1 M}**

ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ ऐसे खतरे खेल में आते हैं जब एक अंकेक्षक हाल ही में कम्पनी एक डायरेक्टर या वरिष्ठ ओएफएफआई सीयर रहा था, और जब अंकेक्षण परीक्षकों ने उन सेवाओं का प्रदर्शन किया जो स्वयं अंकेक्षण परीक्षा में विषय हैं।

3. **वकालत खतरों,** जो हो सकता है, जब अंकेक्षक को बढ़ावा देता है, या बढ़ावा देने के लिए माना जाता है, एक बिदुं के लिए एक ग्राहक की राय जहाँ लोग विश्वास कर सकते है कि निष्पक्षता है। समझौता हो रहा है, जब एक अंकेक्षक ऑडिटेड कम्पनी के शेयरों या प्रतिभूतियों के साथ सौदे करता हैं, या मुकदमेबाजी और तीसरे पक्ष विवादों में ग्राहक का वकील बन जाता है। **{1 M}**

4. **परिचित खतरे आत्म–स्पष्ट हैं,** और तब होते हैं जब अंकेक्षक क्लाइंट के साथ संबंध बनाते हैं। जहाँ वे ग्राहक के हितों के प्रति भी सहानुभूति रखते हैं। यह कई मायनों में हो सकता हैः (i) ग्राहक कम्पनी में वरिष्ठ पद पर काम कर रहें अंकेक्षण टीम के करीबी रिश्तेदार, (ii) अंकेक्षण कम्पनी के पूर्व साथी, ग्राहक के एक निदेशक या वरिष्ठ कर्मचारी, (iii) विशिष्ट अंकेक्षण परीक्षकों और उनके विशिष्ट ग्राहकों के समकक्षों के बीच लम्बा एसोसिएशन, और (iv) ग्राहक कम्पनी, उसके निदेशकों या कर्मचारियों से हस्ताक्षर उपहार या आतिथ्य की स्वीकृति। **{1/2 M}**

5. धमकी, जो तब होती है जब अंकेक्षक निष्पक्ष रूप से पेशेवर संदेह की पर्याप्त डिग्री के साथ अभिनय से विचलित हो जाते है। असल में, ये लेखांकन सिद्धांतों के आंवेदन के साथ असहमति पर प्रतिस्थापन के खतरे के कारण हो सकते हैं, या कम अंकेक्षण शुल्क के जवाब में काम को अंसतुलित रूप से कम करने के लिए दबाव। **{1/2 M}**

Answer:

(b) अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ तथा हानि

एक अंकेक्षण कार्यक्रम के फायदे हैंः

(a) यह सहायक को सामान्यतः काम करने के निर्देशों के कुल और स्पष्ट सेट के साथ अंकेक्षण को पूरा करता है।

(b) विशेष रूप से प्रमुख अंकेक्षण के लिए यह आवश्यक है कि काम करने के लिए किए जाने वाले काम का एक पूरा दृष्टिकोण प्रदान करें।

(c) क्षमता के आधार पर नौकरियों के लिए सहायकों का चयन आसान हो जाता हैं, जब काम तर्कसंगत रूप से योजनाबद्ध, स्पष्ट और पृथक हों।

(d) एक लिखित और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बिना कुछ 'मानसिक' योजना के आधार पर काम जरूरी है ऐसी स्थिति में हमेशा कुछ पुस्तकों और रिकॉर्डो को अनदेखा करने या देखने का खतरा रहता है। एक अच्छी तरह से तैयार किए गए कार्यक्रम के तहत, खतरें सिरे से कम है और अंकेक्षण व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ सकती है। **{Any 6 Points Each 1/2 Mark}**

(e) सहायकों, कार्यक्रम पर अपने हस्ताक्षर डालने के द्वारा, व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते है और यदि आवश्यक हों, तो काम करने का काम सहायक को वापस किया जा सकता है।

(f) प्रिंसिपल पूरा काम के लिये नौकरियों को नियुक्त सहायकों द्वारा शुरू की गई अंकेक्षण कार्यक्रमों की परीक्षा से हाथ में विभिन्न अंकेक्षण की प्रगति को नियंत्रित कर सकता है।

(g) यह आगामी वर्ष में किए जाने वाले अंकेक्षण के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है।

(h) एक उचित रूप से तैयार अंकेक्षण लेखा परीक्षक के खिलाफ लापरवाही के किसी भी आरोप की स्थिति में साक्ष्य के रूप में कार्य करता है। यह स्थापित करने में काफी मूल्य हो सकता है कि उसने उचित कौशल और देखभाल का प्रयोग किया जो पेशेवर लेखा परीक्षक से अप्रेक्षित था।

Answer:

(c) डाटा पर निर्भरता स्रोत व प्रकृति से प्रभावित होती है व उसके प्राप्ति की परिस्थितियों पर निर्भर होती है। डाटा की मौलिक विश्लेषणात्मक प्रविधियों के लिए विश्वसनीयता जाँचने के लिए निमलिखित उपयुक्त हैं–

(i) उपलब्ध सूचना का स्रात। उदाहरण के लिए संस्था मे बाहर से स्वंतत्र स्रोत से प्राप्त की गई सूचना अधिक विश्वसनीय होती है। **{1/2 M}**

(ii) उपलब्ध सूचना की तुलनात्मकता। उदाहरण के लिए जो संस्था विशेष प्रकार के माल का उत्पादन व बिक्री करती है उसके लिए विस्तृत उद्योग डाटा आवश्यक होगा। **{1/2 M}**

(iii) उपलब्ध सूचना की प्रकृति व उपयुक्तता। उदाहरण के लिए क्या बजट स्थापित करते समय अपेक्षत परिणाम ध्यान में रखे गए हैं या लक्ष्य। **{1/2 M}**

(iv) सूचना की तैयारीं में पूर्णता, सटीकता व वैधता सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए नियंत्रण। उदाहरण बजट की तैयारी, अवलोकन व संरक्षण के लिए लगाए गए नियंत्रण। **{1/2 M}**

अंकेक्षक उन नियंत्रण की कार्यात्क प्रभावशीलता के परीक्षण के बारे में विचार कर सकता है जोकि मौलिक विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के लिए प्रयुक्त डाटा की तैयारी पर लगे थे। जब यह नियंत्रण प्रभावी हो तब अंकेक्षक सूचना की विश्वसनीयता पर अधिक भरोसा कर सकता है तथा विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के परिणाम पर भी। गैर–वित्तीय सूचना पर नियंत्रणों की कार्यात्मक प्रभावशीलता का अन्य नियत्रण के परीक्षण के साथ किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बिक्री के बिलों पर नियंत्रण स्थापति करने हेतु संस्था यूनिट बिक्री पर नियंत्रणों कर सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में अंकेक्षक यूनिट बिक्री पर नियंत्रणों की कार्यात्मक प्रभावशीलता को बिक्री बिल पर नियंत्रणों की कार्यात्मक प्रभावशीलता के साथ परीक्षण कर सकते है। वैकल्पिक रूप से अंकेक्षक यह विचार कर सकते हैं कि क्या सूचना का अंकेक्षणीय परीक्षण किया जाना चाहिए। SA 500 मौलिक विश्लेषात्मक प्रविधियों के लिए प्रयुक्त होने वाली सूचना पर अंकेक्षणीय प्रक्रियाएँ लगाने की आवश्यकताओं को स्थापित करता है। **{1 M}**

Answer:

(d) (i) **सांख्यिकी नमूनों के लाभ को निम्न तौर पर संक्षिप्त किया जा सकता है–**

(1) परीक्षण (नमूना आकार) की मात्रा क्षेत्र (जनसंख्या) बढ़ने से नही बढ़ती।

(2) नमूना चयन अधिक उद्देश्यपूर्ण व रक्षापूर्ण है।

(3) यह तरीका कम से कम नमूना आकार के साथ विशेष जोखिम का आंकलन प्रदान करता है।

(4) यह गणितीय जोखिम निकालने व तुलनात्मक में अनुमानित अंतर नमूने के प्रयोग के कारण प्रदान करता है।

(5) यह बड़ी मात्रा के डाटा का बेहतर विवरण प्रदान करना है क्योंकि गैर–नमूना त्रुटि जैसे कि प्रक्रियात्मक गलतियाँ अधिक नहीं होती है।

{Any 4 Points Each 1/2 Mark}

कुछ अंकेक्षणीय परिस्थितियों में सांख्यिकीय नमूना उचित नहीं होगा। अंकेक्षक को सांख्यिकी नमूना करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब दूसरार दृष्टिकोण या तो आवश्यक है या कम समय व प्रयास से संतुष्ट सूचना प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए कानूनी आवश्यकतताओं में सटीकता की आवश्यकता है। सांख्यिकीय व गैर–सांख्यिकीय नमूना दृष्टिकोण का प्रयोग अंकेक्षक के निर्णयाधीन होता है। हालांकि नमूना आकार इस भेद का उचित आधार नहीं है।

(ii) **स्तरीय नमूनाः** इस तरीके में पूरी जनसंख्या को छोटे नामक स्तर में बाँटा जाता है व उनमें से नमूना लिया जाता है। प्रत्येक स्तर को अलग जनसंख्या माना जाता है व इन्हीं स्तरों में से इकाइयों का चयन होता है। छोटे समूहों की संख्या अंकेक्षक के निर्णय पर आधारित है। **{2 M}**

Answer 6:

(a) स्वचालित वातावरण में अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित परीक्षण तरीकों पर ध्यान दिया जायेगाः

(i) पूछताछ

(ii) पर्यवेक्षण

(iii) निरीक्षण

(iv) पुनः क्रियान्वयन **{1 M}**

पूछताछ के साथ निरीक्षण सर्वाधिक प्रभावी व कुशल परीक्षण का तरीका होता है। हालाँकि कब कहाँ और कैसे प्रयोग करना है, यह व्यावसायिक निर्णय का मामला है तथा कई कारकों पर निर्भर करेगा; जैसे–जोखिम का आकलन, नियंत्रण का वातावरण, अपेक्षित साक्ष्य स्तर, त्रुटि/मिथ्यावर्णन का इतिहास, व्यवसाय की जटिलता, अभिकथन आदि। **{2 M}**

Answer:

(b) यदि, धोखाधड़ी या संदेहास्पद धोखाधड़ी से उत्पन्न गलत अनुमान के परिणामस्वरूप, अंकेक्षक का असाधारण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो लेखा परीक्षा को जारी रखने के लिए अंकेक्षक की क्षमता में सवाल उठाते हैं, तो अंकेक्षक निम्नानुसार होगाः

(a) परिस्थितियों में लागू पेशेवर और कानूनी जिम्मेदानी को निर्धारित करें, इसमें यह भी शामिल है कि क्या अंकेक्षक के लिए उस व्यक्ति या व्यक्तियों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है जो अंकेक्षण की नियुक्ति की है या, कुछ मामलों में, नियामक प्राधिकरणों को, **{1 M}**

(b) विचार करें कि क्या कार्य से वापस लेने के लिए उपयुक्त हैं, जहाँ लागू कानून या विनियमन के तहत वापसी संभव है, तथा **{1 M}**

(c) यदि अंकेक्षक वापस ले लेता हैः

(i) प्रबंधन के उपयुक्त स्तर के साथ चर्चा करें और उनसे जुड़ा हुआ अनुशासन से अंकेक्षक की वापसी और निकासी के कारणों के कारण; तथा

(ii) निर्धारित करें कि क्या व्यक्ति या व्यक्तियों को रिपोर्ट करने के लिए एक पेशेवर या कानूनी आवश्यकता है, जिन्होंने लेखा परीक्षा की नियुक्ति की है या, कुछ मामलों में, नियामक प्राधिकरणों को, सभागार से निकाले गए अंकेक्षक की वापसी और वापसी के कारण। **{2 M}**

Answer:

(c) एक मामले की महत्वता का परखने में तथ्या तथा परिस्थिति की वस्तु परक विश्लेषण की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण मामलों के उदाहरण में सम्मिलित हैः

- मामला जो महत्वपर्ण जोखिम को जन्म देते है।
- अंकेक्षण प्रक्रिया का परिणाम संकेत देता है (a) कि वित्तीय विवरण को सारवान रूप में मिथ्या वर्णित किया जा सकता है, अथवा (b) सारवान मिथ्या विवरण की जोखिम की अंकेक्षक की पहले की समीक्षा को पुर्नरक्षित करने की आवश्यकता है तथा इन जोखिम का अंकेक्षक का प्रत्युत्तर **{2 M}**
- परिस्थिति जो अंकेक्षक को आवश्यक अंकेक्षण प्रक्रिया को लागू करने में पर्याप्त कठिनाइ देते है।
- निष्कर्ष जो अंकेक्षण राय की संशोधन का परिणाम हो सकता है अथवा अंकेक्षक की रिपोर्ट में मामला पैराग्राफ का जोर सम्मिलित हो सकता है।

महत्पूर्ण मामलों की अंकेक्षण प्रपत्रीकरण के स्वरूप, विषय वस्तु तथा हद के निर्धारण में एक महत्पूर्ण फेक्टर कार्य के निष्पादन तथा परिणाम के आंकलन में प्रयुक्त पेशेवर निर्णयन की हर है।

पेशेवर निर्णयन जहां पर महत्पूर्ण है, का प्रपत्रीकरण अंकेक्षक के निष्कर्षो को निर्णयन की गुणवत्ता को सुदृढ़ करता है। इस प्रकार का मामलों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का विशेष हित का है जिसमें बाद का अंकेक्षण को चलानाा जब लगातार महत्व की मामला की समीक्षा की जाती है। (उदाहरण के लिए, लेखांकन अनुमान की पूववर्ती समीक्षा को निष्पादित किया जाता है)

परिस्थिति के कुछ उदाहरण जिसमें पेशवर निर्णयन का उपयोग से संबंधित अंकेक्षण प्रपत्रीकरण को तैयार करना उपयुक्त है जहां पर मामला तथा निर्णयन महत्वपूर्ण हैः **{2 M}**

- अंकेक्षक का निष्कर्ष के लिए युक्ति जब एक आवश्यकता प्रदान करता है कि अंकेक्षक कुछ सूचना अथवा फेक्टर 'विचार करेगा' तथा वह विचार विशेष लिप्तता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
- विषयपरक निर्णयन का क्षेत्र की उचितता पर अंकेक्षक की निष्कर्ष का आधार (उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान की उचितता)
- एक प्रपत्र की प्रमाणिकता के बारे में अंकेक्षक का निष्कर्ष जब अंकेक्षक के दौरान पहचान स्थिति के प्रत्युत्तर में इस प्रकार का अन्वेषण (जैसा एक विशेषज्ञ का उपयुक्त उपयोग अथवा पुष्टि प्रक्रिया जो अंकेक्षक को विश्वास दिलाता है कि प्रपत्र प्रमाणिक नहीं है)

Answer:

(d) लेखांकन का चलयामन संस्था आधार

लेखांकन का चलयामन संस्था आधार के अन्तर्गत वित्तीय विवरण की मान्यता पर तैयार किया जाता है कि इकाई चलयामन संस्था है तथा आने वाले भविष्य के लिए परिचालन को जारी रखेगी। जब लेखांकन का **{1 M}**

चलयामन संस्था का उपयोग उपयुक्त हैं, सम्पत्ति तथा दायित्व का आधार पर रिकार्ड किया जाता है कि इकाई व्यापार के सामान्य व्यवहार में अपनी सम्पति को वसूल करने तथा दायित्व का निर्वाहन करेगा।
चलयामन संस्था के संबंध में अंकेक्षक का उद्देश्य हैः

(i) प्रबंधन तथा जहां उपयुक्त हो संचालन से प्रभारित व्यक्तियों से लिखित प्रतिवेदन प्राप्त करना कि वे वित्तीय विवरण की तैयारी तथा अंकेक्षक को प्रदान सूचना की पूर्णता के लिए अपने कर्तव्यों का पूर्ण करते हैः

(ii) लिखित बयानों के माध्यम से वित्तीय विवरण में विशिष्ट कथनों से संबंधित अभिकथन समर्पित करना यदि अंकेक्षक द्वारा आवश्यकता निर्धारित की अथवा SAs अन्य द्वारा आवश्यक है तथा **{1 M}**

(iii) प्रबंधन द्वारा प्रदान लिखित प्रतिवेदन पर उपयुक्त रूप से प्रत्युतर करना अथवा यदि प्रबंधन अथवा जहां उपयुक्त है संचालन से प्रभारित व्यक्ति अंकेक्षक के द्वारा आवेदित लिखित प्रतिवेदन प्रदान नहीं करता। **{1 M}**

***